उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 11.04.2025

यूजेवीएन लि0 के 11 बड़े विद्युत गृहों (LHPs.) हेतु पांचवी नियंत्रण अवधि (Fifth Control Period)
वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए
व्यवसाय योजना एवं बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- यूजेवीएन लि0 द्वारा पांचवी नियंत्रण अवधि (Fifth Control Period) के लिए व्यवसाय योजना पर अनुमोदन के साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 के सहीकरण (Truing-up), वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) एवं पांचवी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु अपने 11 वृहद विद्युत गृहों – छिबरो, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल, चिला, रामगंगा, खटीमा एवं मनेरी भाली–I, मनेरी भाली–II तथा व्यासी स्टेशनों हेतु बहु वर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को याचिका प्रस्तुत की गई।

- **इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के संवीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गयेः–**
  - **a) पांचवी नियंत्रण अवधि के लिए 11 वृहद विद्युत गृहों (09 पुराने वृहद विद्युत गृहों, मनेरी भाली–II तथा व्यासी) हेतु व्यापार योजना पर अनुमोदन।**
  - **b) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 11 वृहद विद्युत गृहों (09 पुराने वृहद विद्युत गृहों, मनेरी भाली–II तथा व्यासी) सहीकरण (Truing-up)।**
  - **c) पांचवी नियंत्रण अवधि के लिए 11 वृहद विद्युत गृहों (09 पुराने वृहद विद्युत गृहों, मनेरी भाली–II तथा व्यासी) के लिए बहु वर्षीय टैरिफ निर्धारण।**

- यूजेवीएन लि0 ने 9 पुराने वृहद विद्युत गृहों, मनेरी भाली–II और व्यासी के सापेक्ष रू0 343.09 करोड़ के अंतर (Gap) की गणना की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023–24 में एकत्र वास्तविक राजस्व के सापेक्ष वर्तमान में क्लेम किए गए वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) के अंतर की गणना करके वहन लागत (HPSEB के हिस्से के अंतर को छोड़कर) का प्रभाव शामिल है। इसके सापेक्ष, आयोग ने 11 वृहद विद्युत गृहों हेतु रू0 206.74 के अंतर (Gap) को अनुमोदित किया गया है।

- यूजेवीएन लि0 को मनेरी भाली–II परियोजना के निर्माण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उर्जा विकास निधि (PDF) से उपलब्ध करायी गयी अंशपूजी पर लाभांश(Return on Equity) से सम्बन्धित प्रकरण पर माननीय APTEL के समक्ष यूजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तुत अपीलों (अपील संख्या 215 of 2016, अपील संख्या 283 of 2016 और अपील संख्या 139 of 2018) में दिये गये निर्णय दिनांक 19.07.2024 के अनुपालन में आयोग द्वारा वाणिज्यिक परिचालन तिथि (COD) से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक कुल धनराशि रू0 746.18 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि यूजेवीएन लि0 द्वारा इस हेतु धनराशि रू0 804.41 करोड़ की मांग की गयी थी। यूजेवीएन लि0 द्वारा उक्त अवधि हेतु वहन लागत का क्लेम छोड़ा गया है।

- राज्य के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ पर एक मुश्त प्रभाव को रोकने के लिए, आयोग ने टैरिफ नीति के Clause 8.2.2 के अनुरूप अगले तीन वर्षों में रू0 248.73 करोड़ की वार्षिक किस्त के साथ रू0 746.18 करोड़ की कुल वसूली की स्वीकृति प्रदान की गयी।

- तदनुसार, आयोग ने 11 वृहद विद्युत गृहों (09 पुराने वृहद विद्युत गृहों, मनेरी भाली–II तथा व्यासी) के लिए कुल रू0 455.47 करोड़ (HPSEB के हिस्से के अंतर को छोड़कर) के अंतर (Gap) की अनुमति दी है, जिसे अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक बारह समान मासिक किस्तों में यूपीसीएल से वसूल किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, यूजेवीएन लि0 द्वारा क्लेम किये गये वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कुल वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) नीचे दी गई निम्न् सारिणी में दर्शित हैः–

तालिकाः वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) (रू0 करोड़ में)

उत्पादन गृह	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	
	आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 28.04.2024 में अनुमोदित	यूजेवीएन लि0 द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
09 बड़े विद्युत गृहों (छिबरो, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल, चिला, रामगंगा, खटीमा, मनेरी भाली–I)	**576.63**	**738.83**	**580.94**
गत वर्षों की तुलना में वार्षिक स्थिर प्रभार (%) में वृद्धि / (कमी)		28.13%	0.75%
मनेरी भाली–II LHP	**207.05**	**312.17**	**272.34**
गत वर्षों की तुलना में वार्षिक स्थिर प्रभार (%) में वृद्धि / (कमी)		50.77%	31.53%
	आयोग के आदेश दिनांक 24.03.2025 में अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2025-26	
व्यासी **LHP**	**345.28**	**432.95**	**339.54**
गत वर्षों की तुलना में वार्षिक स्थिर प्रभार (%) में वृद्धि / (कमी)		25.39%	(1.66%)
कुल	**1,128.95**	**1,483.95**	**1,192.82**
गत वर्षों की तुलना में कुल वार्षिक स्थिर प्रभार (%) में वृद्धि / (कमी)		31.44%	5.66%

***